भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 662
06 फरवरी, 2025 को उत्तर देने के लिए

कृषि आधारित उत्पादों की पैकेजिंग

662. श्री दुष्यंत सिंह:
क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, विशेष रूप से लहसुन, धनिया, मेथी, कंलौंजी और मिर्च जैसे कृषि आधारित उत्पादों की ग्रेडिंग, पीसने और पैकेजिंग के साथ-साथ राजस्थान के झालावाड़-बारां क्षेत्र में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त जिलों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और एफपीओ के विकास के लिए कोई अनुदान प्रदान करने का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन उत्पादों का बाजार मूल्य बढ़ाने तथा किसान कल्याण में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (ग): देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी केंद्रीय क्षेत्र योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है। ये योजनाएं क्षेत्र या राज्य विशेष नहीं हैं, बल्कि मांग आधारित हैं। मंत्रालय भावी उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें लहसुन, धनिया, मेथी, कलौंजी और मिर्च तथा अन्य कृषि आधारित उत्पाद शामिल हैं, जो संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार हैं। इन योजनाओं के तहत उपलब्ध प्रोत्साहनों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/संयुक्त उद्यम/किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)/एनजीओ/सहकारी समितियां/एसएचजी/ प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां/व्यक्तिगत स्वामित्व वाली फर्में आदि जैसे संगठन इन योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता/प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। पीएमएफएमई योजना के तहत राजस्थान के झालावाड़-बारां क्षेत्र में प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है। इन योजनाओं का उद्देश्य फार्म गेट से लेकर खुदरा दुकान तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है, जिससे किसानों को बेहतर लाभ मिल सके, रोजगार के अवसर पैदा हो सकें, कृषि उपज की बर्बादी कम हो, प्रसंस्करण स्तर बढ़े और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा मिले।

*****

अनुबंध- I

दिनांक 06.02.2025 को कृषि आधारित उत्पादों की पैकेजिंग " के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 662 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

<u>प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन</u>

क्र. सं.	**घटक योजना**	**सामान्य क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए योजना लाभ (अनुदान सहायता)**	**दुर्गम क्षेत्रों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों की परियोजनाओं के लिए योजना के लाभ (अनुदान सहायता)**
1.	एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना	पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक]	पात्र परियोजना लागत का 50% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक]
2.	खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार	पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक]	पात्र परियोजना लागत का 50% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक]
3.	कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना	सामान्य क्षेत्र में पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक]	पात्र परियोजना का 50% की दर से अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक]
4.	ऑपरेशन ग्रीन्स	एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से अनुदान सहायता दी जाएगी, अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना ₹15 करोड़ होगी; तथा एकल फसलोपरांत अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना ₹10 करोड़ होगी।	एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत का अधिकतम 50% की दर से अनुदान सहायता दी जाएगी, अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना ₹15 करोड़ होगी; और एकल फसलोपरांत अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना ₹10 करोड़ होगी।

5.	खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन - खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ	सरकारी संगठनों के लिए 100% अनुदान सहायता निजी संगठनों/संस्थाओं के लिए: पात्र लागत का 50% की दर से अनुदान सहायता।	निजी संगठनों/संस्थाओं के लिए: पात्र लागत का 70% की दर से अनुदान सहायता।
6.	मानव संसाधन एवं संस्थान- अनुसंधान एवं विकास	सरकारी संगठनों के लिए - उपकरण लागत, उपभोग्य सामग्रियों का 100% अनुदान, निजी संगठनों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए उपकरण लागत का 50% की दर से अनुदान।	सरकारी संगठनों के लिए - उपकरण लागत, उपभोग्य सामग्रियों का 100% अनुदान निजी संगठनों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए उपकरण लागत का 70% अनुदान।

पीएमएफएमई योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को उपलब्ध सहायता का विवरण

(i) *वैयक्तिक /समूह श्रेणी सूक्ष्म उद्यमों को सहायता:* पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से क्रेडिट - लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति इकाई;

(ii) *प्रारंभिक पूंजी के लिए स्वयं सहायता समूहों को सहायता:* कार्यशील पूंजी और छोटे औजारों की खरीद के लिए खाद्य प्रसंस्करण में लगे स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपये की दर से प्रारंभिक पूंजी दी जाएगी, जो प्रति स्वयं सहायता समूह संघ के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये होगी।

(iii) *सामान्य अवसंरचना के लिए सहायता:* एफपीओ, एसएचजी, सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी एजेंसी को सामान्य अवसंरचना स्थापित करने के लिए सहायता देने के लिए 35% की दर से ऋण से जुड़ी पूंजी सब्सिडी, जो अधिकतम 3 करोड़ रुपये होगी। सामान्य अवसंरचना क्षमता के एक बड़े हिस्से के लिए किराये के आधार पर अन्य इकाइयों और आम जनता के उपयोग के लिए भी उपलब्ध होगी।

(iv) *ब्रांडिंग और विपणन सहायता:* एफपीओ/एसएचजी/सहकारिता समूहों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और विपणन के लिए 50% तक अनुदान ।

(v) *क्षमता निर्माण:* इस योजना में उद्यमिता विकास कौशल (ईडीपी+) के लिए प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उत्पाद विशिष्ट कौशल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्यक्रम को संशोधित किया गया है।

अनुबंध- II

दिनांक 06.02.2025 को " कृषि आधारित उत्पादों की पैकेजिंग " के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 662 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीएमएफएमई योजना के तहत राजस्थान के झालावाड़-बारां क्षेत्र में प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण

क्रम सं.	विवरण	31.01.2025 तक की स्थिति
1.	**राजस्थान का झालावाड़ जिला**	
(i)	आवेदकों को स्वीकृत ऋणों की संख्या	संख्या: 10 राशि: 50 लाख रुपये
(ii).	स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रारंभिक पूंजी स्वीकृत की गई	575 लाख रुपये की धनराशि के लिए 1510 स्वयं सहायता समूह सदस्य अनुमोदित
2.	**राजस्थान का बारां जिला**	
(i)	आवेदकों को स्वीकृत ऋणों की संख्या	संख्या: 14 राशि: 74 लाख रुपये
(ii).	स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रारंभिक पूंजी स्वीकृत की गई	20.30 लाख रुपये की धनराशि के लिए 52 स्वयं सहायता समूह सदस्य अनुमोदित

*****